5 रु. कोर्ट फी Rs.5 COURT FEE
भारत INDIA
पाँच रुपये FIVE RUPEES

कोर्ट फी Re.1 INDIA
रुपया ONE RUPEE

1 रु. कोर्ट फी Re.1 भारत INDIA
रुपया ONE RUPEE

[illegible]

[illegible] 2019156060052 [illegible]

[illegible]

[illegible]

न्यायालय उप जिलाधिकारी बूढ़नपुर, आजमगढ़।

वाद संख्या-टी०201915060600527 अन्तर्गत धारा-80उ0प्र0राजस्व संहिता अधिनियम2006
मनीष कुमार यादव पुत्र धर्मू प्रसाद यादव, साकिन-डिंगुरपुर,
प्रबन्धक सद्भावना विद्यापीठ शिक्षा समिति किताहेठार डिंगुरपुर बनाम गॉवसभा
तहसील-बूढ़नपुर, जनपद-आजमगढ़।
सा0-किताहेठार डिंगुरपुर, परगना-कौड़िया, तहसील-बूढ़नपुर, जनपद-आजमगढ़।

निर्णय

प्रस्तुत वाद मनीष कुमार यादव पुत्र धर्मू प्रसाद यादव, साकिन-डिंगुरपुर, परगना-कौड़िया, तहसील-बूढ़नपुर प्रबन्धक सद्भावना विद्यापीठ शिक्षा समिति किताहेठार डिंगुरपुर, परगना-कौड़िया, तहसील-बूढ़नपुर जिला-आजमगढ़ ने फसली सन् 1421 से 1426 के खाता संख्या-162 गाटा संख्या-204 रकबा 1.524 हें0 में से 0.231 हे0 स्थित ग्राम-किताहेठार डींगुरपुर, परगना-कौड़िया, तहसील-बूढ़नपुर, जनपद-आजमगढ़ को अकृषिक दर्ज किये जाने के बावत दावा प्रस्तुत कर कहा है कि वादी उक्त भूखण्ड संख्या गाटा संख्या-204 रकबा 1.524 हे0 में से 0.231 हे0 स्थित ग्राम-किताहेठार डींगुरपुर, परगना-कौड़िया, तहसील-बूढ़नपुर, जनपद-आजमगढ़, का बैनामा लिया है तथा सह संक्रमणीय भूमिधर है एवं काबिज दाखिल है। उपरोक्त भूखण्ड में प्रार्थी द्वारा सद्भावना विद्यापीठ शिक्षा समिति किताहेठार डींगुरपुर का विद्यालय भवन खेलकूद का मैदान नल आदि लगाकरं बतौर आबादी सहन आदि बनाकर रह रहा है। उक्त विद्यालय चारो तरफ से बाउण्ड्रीबाल से घिरी हुई है। प्रार्थी ने उपरोक्त भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने की याचना की है। नियमानुसार तहसील से रिर्पोट मगायी गयी, जिस पर हल्का लेखपाल ने स्थलीय जांच करके अपनी रिर्पोट दिनांक-20.02.2019 में लिखा है कि गाटा संख्या-204 रकबा 1.524 हे0 में से 0.231 हे0 स्थित ग्राम-किताहेठार डींगुरपुर, परगना-कौड़िया, तहसील-बूढ़नपुर, पर वादी को विद्यालय भवन निर्मित है तथा बच्चो के खेल कूद के लिए मैदान व बाउण्ड्रीवाल से घिरी हुई है। जिस पर किसी प्रकार का कृषि कार्य नही होता है, जो अकृषिक घोषित होने योग्य है। उक्त भूमि पर कृषि या कृषि से सम्बन्धित कोई कार्य नहीं होता है। इसी रिपोर्ट को तहसीलदार बूढ़नपुर द्वारा दिनांक-21.02.2019 को संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है। मैने पत्रावली का अवलोकन किया। अवलोकन से विदित है कि क्षेत्रीय लेखपाल/रा0नि0 की रिपोर्ट दिनांक 20.02.2019, जो तहसीलदार बूढ़नपुर द्वारा दिनांक-21.02.2019 को संस्तुति सहित अग्रसारित है, जो स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रार्थी द्वारा पत्रांक-348/स0म0नि0/2018 दिनांक-05.09.2018 में दिये गये निर्देश के क्रम में उक्त भूमि को कृषि भूमि से अकृषक भूमि घोषित किये जाने हेतु शुल्क सर्किल रेट के अनुसार आगणिक मूल्य का 01 प्रातिशत रू-6815-00 को चालान संख्या-04 द्वारा जमा कर दिया गया है,' एवं न्याय शुल्क हेतु 6820-00 का स्टाम्प भी पत्रावली के साथ संलग्न है।

आदेश

क्षेत्रीय लेखपाल की रिपोर्ट दिनांक-20.02.2019, जो तहसीलदार बूढ़नपुर द्वारा दिनांक-21.02.2019 को संस्तुति सहित अग्रसारित है, स्वीकार की जाती है। ग्राम-किताहेठार डींगुरपुर, परगना-कौड़िया, तहसील-बूढ़नपुर, जनपद-आजमगढ स्थित गाटा संख्या-204 रकबा 1.524 हे0 में से 0.231 हे0 अकृषिक घोषित किया जाता है। इस आदेश से स्वत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी अमलदरामद खतौनी के विवरण कॉलम में अंकित करायी जाय, जिससे बनने वाली खतौनी में अकृषिक अंकित होती रहे। आदेश की एक प्रति उपनिबन्धक कार्यालय बूढ़नपुर को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाय।

उप जिलाधिकारी
बूढ़नपुर-आजमगढ़

TRUE COPY

5-3-19